बिहार विधान परिषद **ध्यानाकर्षण**

माननीय सभापति महोदय,

राज्य के पटना जिला सहित,पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, मुजफ्फरपुर एवं अन्य जिला में दोपहिया वाहन, कार जीप एवं अन्य वाहनों पर जो अधिकृत डिलरशीप जैसे महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा, रॉयल इंफिल्ड, मारुति कंपनी, बजाज ऑटो कंपनी के द्वारा ग्राहकों से वाहनों के रजिस्ट्रेशन हेतु सरकारी माप दण्डों से अधिक वसूल किया जाता है तथा ग्राहकों को सालो साल परेशान किया जाता है। जिसमें वाहन के रजिस्ट्रेशन हेतु परिवहन विभाग के नाम पर अधिक राशि लिया जाता है। जिसके कारण वाहन उपभोक्ताओं को वाहन चेकिंग के दौरान दण्ड शुल्क देना पड़ता है तथा काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

अत: मैं वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में उपरोक्त कंपनीयों के डिलरों द्वारा वाहनों की बिक्री कर उपभोक्ताओं को वाहनों का रजिस्ट्रेशन मुहैया नहीं कराया गया तथा परिवहन पदाधिकारियों की उपेक्षा की शिकार जनता को यातायात नियमों के चलते दण्ड शुल्क की अदायगी कराने वाले डिलरों एवं परिवहन पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने हेतु सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/- सतीश कुमार
स.वि.प.

ज्ञापांक :बि0प0अ0प्र0-38/2018 - 401 (1) दिनांक- 20.02.2018

प्रतिलिपि :- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/संसदीय कार्य विभाग,बिहार/परिवहन विभाग बिहार/ वित्त विभाग,बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ(एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु)प्रेषित ।

2. माननीय सदस्य दिनांक-05/03/2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए ।

नवल किशोर सिंह
(नवल किशोर सिंह) 27-02-2018
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद् ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

पर्यावरण और वायु प्रदूषण को लेकर सतर्क हो जाने वाली खबरें विगत कुछ वर्षों से आ रही है। सम्प्रति, वायु प्रदूषण से उपजे हालात किसी गंभीर आपदा के असर से कम भयावह नहीं है। दिल्ली से लेकर समस्त उत्तर भारत में बढता प्रदूषण चिन्ताजनक है। आज बिहार के कई मुख्य शहरों की स्थिति वायु प्रदूषण के कारण भयावह हो चुकी है, इसमें मुख्यत: पटना,गया,मुजफ्फरपुर की स्थिति विस्फोटक हो चुकी है। राज्य में नये प्रोजेक्ट,परिवहन के नये साधन, वाहनों का बढना और स्वभाविक रूप से ईंधन की बढी खपत विकास की अनिवार्य शर्ते हैं, लेकिन इससे होने वाले खतरों के प्रति पर्यावरण विभाग सजग नहीं है। खतरों से निपटने के उपाय को मूल परियोजना में शामिल नहीं किया जा रहा है फलत: वायु प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।

अत: मैं उपर्युक्त गंभीर समस्या के निदान एवं इसके लिए कारगर योजना पर ठोस कार्रवाई के संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/- केदार नाथ पाण्डेय
स.वि.प.

ज्ञापांक :वि0प0अ0प्र0-39/2018 - 403 (1) दिनांक- 20.02.2018

प्रतिलिपि :- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/संसदीय कार्य विभाग,बिहार/पर्यावरण एवं वन विभाग बिहार/ प्रश्न शाखा/निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ(एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु)प्रेषित ।

2. माननीय सदस्य दिनांक-05/03/2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें ।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए ।

नवल किशोर सिंह
(नवल किशोर सिंह) 27.02.2018
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्   ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

वैशाली जिलान्तर्गत बी.पी.एल. और अन्त्योदय के लाभार्थी को सरकारी सुविधा अंतर्गत मिलने वाली सामग्रियों में भारी अनियमतता हो रही है। बी.पी.एल. और अन्त्योदय कार्डधारी अपने राशन और किरासन तेल के लिए जन वितरण प्रणाली के दुकान पर जाते हैं, तो उन्हें तरह तरह के बहाने बनाकर लौटा दिया जाता है। तीन चार महीना में एक महीना का राशन और किरासन वितरित किया जाता है। शेष सामग्रियों की कालाबाजारी कर बाजार में बेच दिया जाता है। जिससे गरीब समाज के लोग सरकारी योजनाओं से वंचित हो रहे हैं।

अत: इस गंभीर मामले की यथाशीघ्र जांच कराकर दोषियों को सजा देने के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/- सुबोध कुमार
स.वि.प.

ज्ञापांक :वि0प0अ0प्र0-40/2018 - 405 (1)   दिनांक-20.02.2018

प्रतिलिपि :- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/संसदीय कार्य विभाग,बिहार/समाज कल्याण विभाग बिहार/ प्रश्न शाखा/निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ(एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु)प्रेषित ।

2. माननीय सदस्य दिनांक-05/03/2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें ।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए ।

नवल किशोर सिंह 27.02.2018
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद् **ध्यानाकर्षण**

माननीय सभापति महोदय,

राज्य सरकार की महत्वकांक्षी योजना स्टूडेंट कार्ड योजना 02 अक्टुबर 2016 से शुरू है। इस योजना के तहत जरूरतमंद छात्र-छात्रों को बैंक के माध्यम से चार लाख तक लोन 12 वीं के आगे की पढाई के लिए मिलता है। लेकिन राज्य सरकार और बैंकों की उदासीनता के कारण छात्रों को लोन नहीं मिल पा रहा है। नियमत: बैंकों को 15 दिनों के अंदर प्रक्रिया पूरी कर देना है। रोजाना सैकड़ों युवक बैंकों का चक्कर काट रहे हैं, उन्हें कोई न कोई बहाना बनाकर टरका दिया जाता है। लोन का पैसा स्वीकृत करने के बावजूद राशि निर्गत नहीं किया जा रहा है क्रेडिट कार्ड के लिए निबंधन सह परामर्श केन्द्र द्वारा सभी प्रक्रिया पूरी के बाद छात्रों का आवेदन बैंकों में भेज दिया जाता है। इस योजना के तहत करीब 17 करोड़ से ऊपर का लोन बैंकों द्वारा स्वीकृत किया गया है लेकिन मात्र दो करोड़ की राशि ही निर्गत की गई है। इससे छात्रों का भविष्य अंधकार में है।

अत: मैं सरकार से सदन में उपरोक्त विषय पर एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/- राधा चरण साह
स.वि.प.

ज्ञापांक :वि0प0अ0प्र0-41/2018 - 402 (1) दिनांक- 20.02.2018

प्रतिलिपि :- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ शिक्षा विभाग/ वित्त विभाग बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ(एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित ।

2. माननीय सदस्य दिनांक-05/03/2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे ।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए ।

नवल किशोर सिंह
(नवल किशोर सिंह) 27.02.2018
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद् ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

दरभंगा जिला के बिरौल प्रखण्ड में स्वतंत्रता सेनानियों का शिलापटट् पर लगा हुआ है, जिसपर अभी तक कुछ सेनानी जैसे स्व0 सत्यनारायण सिंह उर्फ सत्तों सिंह,ग्राम –रजवा आदि जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों का नाम शिलापटट् पर अंकित नहीं हो सका है। इसको लेकर स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार में रोष व्याप्त है। आजादी के 70 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी शिलापटट् में सभी स्वतंत्रता सेनानियों के नाम अंकित नहीं हुआ है।

अत: छुटे हुए स्वतंत्रता सेनानियों का शिलापटट् में नाम अंकित कराने हेतु सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/- सुनील कुमार सिंह
स.वि.प.

ज्ञापांक :वि0प0अ0प्र0-42/2018- 404 (1) दिनांक- 20.02.2018

प्रतिलिपि :- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ गृह विभाग, बिहार / मंत्रीमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ(एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित ।

2. माननीय सदस्य दिनांक-05/03/2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें ।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए ।

नवल किशोर सिंह
(नवल किशोर सिंह) 27.02.2018
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद **ध्यानाकर्षण**

माननीय सभापति महोदय,

मधुबनी जिलान्तर्गत सकरी मधुबनी मुख्य मार्ग में बजरंगबली मंदिर से हिबजा राईसमिल होते हुए एल.बी.32 पथ (लम्बाई 1 कि.मी. लगभग) तक सड़क का निर्माण किसी भी मद से अभी तक नहीं कराया गया है जिसके कारण लोगों को आवागमन में कठिनाई हो रही है। इस पथ के निर्माण हो जाने से सकरी पश्चिम,सकरी पूरब,सागरपुर भवानीपुर ये चारों पंचायतों की दूरी लगभग 3 कि.मी. कम हो जाएगी। यहाँ स्थित शिव मंदिर में प्रतिवर्ष मेला लगता है, जहाँ हजारों –हजार की संख्या में लोग आते-जाते हैं।

अत: मैं जनहित में उपरोक्त वर्णित पथ का निर्माण कराने हेतु सदन में सरकार से स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/- उपेन्द्र प्रसाद
स.वि.प.

ज्ञापांक :वि0प0अ0प्र0-47/2018- 412 (1) दिनांक- 20.02.2018

प्रतिलिपि :- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ पथ निर्माण विभाग,बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित ।

2. माननीय सदस्य दिनांक-05/03/2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें ।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए ।

नवल किशोर सिंह
(नवल किशोर सिंह) 20 · 02 · 2018
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

माननीय सभापति महोदय,

नालंदा जिलान्तर्गत हिलसा प्रखण्ड के हिलसा –चिकसौरा होते हुए यह सड़क पभेड़ी मोड़ (पटना जिला) के पास पटना- जहानाबाद मुख्य सड़क में मिलती है। यह नालंदा से पटना एवं जहानाबाद जानेवाली महत्वपूर्ण सड़क है। इस सड़क को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहित कर लिया गया है। बावजूद इस जर्जर सड़क का निर्माण अब तक नहीं कराया गया है। आये दिन प्राय: दुर्घटना होते रहती है। वर्तमान में 2 फरवरी,2018 को इस सड़क के जर्जर होने के कारण भयानक दुर्घटना घटी है जिसमें दो व्यक्तियों की मृत्यु एवं आठ लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

अत: उक्त जर्जर सड़क का निर्माण जनहित में अतिशीघ्र कराने हेतु सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करती हूं।

ह0/- रीना देवी
स.वि.प.

ज्ञापांक :वि0प0अ0प्र0-46/2018 - 409 (1) दिनांक- 20.02.2018

प्रतिलिपि :- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ पथ निर्माण विभाग,बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित ।

2. माननीय सदस्य दिनांक-05/03/2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें ।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए ।

नवल किशोर सिंह 20.02.2018
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद् ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत गठित संशोधित निर्देशिका को सार्वजनिक संस्थानों यथा वैसे शिक्षण संस्थान जो सरकारी भूमि पर अवस्थित हैं अथवा वकालतखाना, निबंधन कार्यालय, सरकारी हाट, विभिन्न कार्यालयों, जेलखाना आदि में 'शुद्ध' पेयजल उपलब्ध कराने हेतु किसी यंत्र की अनुशंसा का प्रावधान नहीं है। ऐसे स्थानों पर पेयजल तो उपलब्ध है लेकिन उसमें शुद्धता नहीं है।

ज्ञातव्य हो कि सरकार के सात निश्चयों में मानव जीवन के लिए सबसे सार्थक एवं महत्वपूर्ण निश्चय 'हर घर-नल का जल' है लेकिन प्रदूषित पेयजल के निरंतर सेवन के कारण पनप रहे विभिन्न रोगों से निजात पाने हेतु शुद्ध एवं शोधित जलापूर्ति की नितांत आवश्यकता है।

अतः लोकहित में आमजनों के स्वस्थ एवं दीर्घ जीवन हेतु वर्णित स्थानों/ संस्थानों में 'शुद्ध' पेयजल की उपलब्धता हेतु वाटर प्यूरीफायर/ चिलर-कम –प्यूरीफायर की अनुशंसा का प्रावधान भी निर्देशिका में समाहित करने हेतु सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/- डॉ संजीव कुमार सिंह
स.वि.प.

ज्ञापांक :वि0प0अ0प्र0-43/2018 - 411 (1) दिनांक- 20.02.2018

प्रतिलिपि :- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/संसदीय कार्य विभाग,बिहार/भवन निर्माण विभाग,बिहार/ प्रश्न शाखा/निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ(एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु)प्रेषित ।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 05/03/2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें ।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए ।

नवल किशोर सिंह 20.02.2018
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद् **ध्यानाकर्षण**

माननीय सभापति महोदय,

गोपालगंज जिले में पंचायत समिति कि बैठकें निर्धारित समयावधि 2 महीने के अंदर नहीं हो रही है और अगर कहीं असमय बैठकें हो रही है तो कार्यवाही कि प्रति हमें उपलब्ध नहीं कराई जाती है, स्थाई समितियों कि गठन कि कोई जानकारी मुझे उपलबध नहीं कराई जाती तो कि अत्यंत खेद का विषय है। जिसके फलस्वरूप प्रस्ताव के अभाव में मैं अपने कर्तव्यों एवं दायित्यों के निर्वहन में अपने आप को लाचार पा रहा हूं, जबकि मैं पंचायती राज के मतदाताओं से चुना गया प्रतिनिधि हूं।

इसी क्रम में जिला पंचायती राज पदाधिकारी को प्रस्ताव के लिए एक पत्र दिनांक-6/5/2017 पत्रांक- 265/017 के माध्यम पत्र प्रेषित किया कि ,वित्तीय वर्ष 2016 -17 में पंचायती राज से संबंधित गोपालगंज जिले में जितनी बैठकें आयोजित हुई है सभी बैठकों की प्रस्ताव कि एक कॉपी उपलब्ध कराई जाय, लेकिन आज तक मात्र 40% प्रस्ताव कि प्रति उपलब्ध कराई जा सकी है इससे यही साबित होता है कि गोपालगंज जिले में बिना प्रस्ताव कि सारी बैठकें अवैध है, और सरकारी दिशा निर्देशों की खुलेआम धज्जिया उड़ाई जा रही है।

अत: मैं उपरोक्त तथ्यों पर सदन में सरकार से एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/- आदित्य नारायण पाण्डेय
स.वि.प.

ज्ञापांक :वि0प0अ0प्र0-44/2018 - 410 (1) वि.प. दिनांक- 20.02.2018

प्रतिलिपि :- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/संसदीय कार्य विभाग,बिहार/पंचायती राज विभाग,बिहार/ प्रश्न शाखा/निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ(एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु)प्रेषित ।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 05/03/2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें ।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए ।

नवल किशोर सिंह 20.02.2018
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद **ध्यानाकर्षण**

माननीय सभापति महोदय,

भोजपुर जिला अंतर्गत पीरो प्रखंड के ग्राम पंचायत बचरी ग्राम बचरी के प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत आवास बनाने के लिए महादलित परिवार के (1) चन्द्रवती देवी पति अदालत राम(2)पविन्ना देवी पति भगवान राम (3)विक्की देवी पति विजय राम (4)निशा देवी पति अखिलेश राम (5) भोला राम पति महेन्द्र राम (6) नीलम देवी पति राजेश कुमार चयन किया गया था और प्रथम किस्त के रूप में इन लोगों को मकान बनाने के लिए राशि भी निर्गत कर दिया गया है। लाभुक के द्वारा कार्यपालक दण्डाधिकारी पीरो के सामने शपथ-पत्र पर हस्ताक्षर देकर बताया कि मेरे ग्राम पंचायत के इंदिरा आवास सहायक नीतु कुमारी अपने पति मंटु सिंह द्वारा आवास आवंटन के ऐवज में लाभुकों प्रति आवास प्रखंड विकास पदाधिकारी को शेयर देने के लिए राशि वसुल रहे हैं।

इसकी शिकायत प्रखंड विकास पदाधिकारी पीरो,जिला पदाधिकारी भोजपुर,उप विकास आयुक्त भोजपुर से किया है।लाभुक को आवास बनाने के लिए राशि भी नहीं दिया जा रहा ।इस स्थिति में महादलित परिवार का मकान अधुरा ही बना हैं। इन सभी गरीब परिवार को रहने के लिए कठिनाई हो रहा है।

अत: मैं सरकार से सदन में उपरोक्त विषय पर एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/- राधाचरण साह
स.वि.प.

ज्ञापांक :वि0प0अ0प्र0-45/2018 - 414 (1) वि0प0 दिनांक- 20.02.2018

प्रतिलिपि :- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ ग्रामीण विकास विभाग,बिहार/ प्रश्न शाखा/निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित ।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 05/03/2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे ।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए ।

नवल किशोर सिंह 20.02.2018
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।